उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या-15/2021/1478/23-8-2021-08 (पी0डब्ल्यू)अधि0/19 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक: 17 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

श्री सुमन्त कुमार, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 17.02.2011 से उच्चीकृत वेतनमान रु0 37,400-67,000/- ग्रेड वेतन रु0 8700/- स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 18.05.2011 से समस्त परिणामी लाभ 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने के संबंध में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0 के समक्ष निर्देश याचिका संख्या-2403/2018 सुमन्त कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 22.03.2021 को निम्न आदेश दिये गयेः-

'' निर्देश याचिका अंतिम रूप से प्रतिपक्षीगण को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि वे इस निर्णय/ आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 04.09.2018 का निस्तारण उसमें इंगित तथ्यों का गुण-दोष पर विचारण करते हुए सकारण व मुखरित आदेश से करना सुनिश्चित करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण में गुण दोष के आधार पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उभय पक्ष अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे। ''

2- श्री सुमन्त कुमार, अधिशासी अभियन्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 04.09.2018 में निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए दिनांक 18.05.2011 से उच्चीकृत वेतन बैण्ड-4 रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700/- स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है:-

(1) यह कि प्रार्थी की प्रोन्नति दिनांक 11.07.2018 को अधिशासी अभियन्ता के पद पर की गयी थी तथा प्रार्थी वर्तमान समय में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रान्तीय खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बांदा में कार्यरत हैं।

(2) यह कि दिनांक 17.02.2011 से पे बैण्ड-3 वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 7600/- का लाभ प्रार्थी को अनुमन्य कराया गया है। उक्त ग्रेड पे रू0 7600/- अधीक्षण अभियन्ता का वेतनमान है। शासनादेश दिनांकित 18.05.2011 के द्वारा वेतन बैण्ड-3 रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 7600/- के स्थान पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड-4 रू0 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रू0 8700/- संशोधित हो गया है।

(3) यह कि जब उपरोक्त उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 8700/- नहीं प्रदान किया गया तब प्रार्थी के ही समान कार्यरत श्री अशोक कनौजिया द्वारा उच्चीकृत वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु0 8700/- को प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष एक रिट याचिका सर्विस बेंच सं0-236/2013 अशोक कनौजिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें विपक्षीगण द्वारा यह आधार लिया गया कि जहां पर सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता हैं, इसलिये उनको ग्रेड वेतन रू0 8700/- देय नहीं होगा, क्योंकि उपरोक्त ग्रेड वेतन रू0 8700/- केवल अधीक्षण अभियन्ताओं के लिये है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने विपक्षीगण के उपरोक्त आधार को न मानते हुए यह निर्णीत किया गया कि चूंकि ग्रेड वेतन रू0 7600/- अपग्रेड होकर रू0 8700/- हो गया है, इस कारण सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता को भी ग्रेड वेतन रू0 8700/- स्वीकृत होगा।

(4) यह कि उपरोक्त निर्णय/आदेश दिनांकित 28.01.2014 के विरूद्ध शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी0 संख्या-15453/2014 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम अशोक कनौजिया योजित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गयी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 14.07.2014 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया।

(5) यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक व्यवस्थाओं के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि जब शासनादेश दिनांकित 18.05.2011 के द्वारा ग्रेड वेतन रू0 7600/- को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन रू0 8700/- कर दिया गया है तो उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 8700/- का लाभ प्रार्थी को भी न दिया जाना पूर्णतया अविधिक तथा अनियमित है तथा प्रार्थी देय तिथि से उच्चीकृत वेतनमान ग्रेड वेतन रू0 8700/- का लाभ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

(6) यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक कनौजिया अधिशासी अभियन्ता को उपरोक्त वेतनमान में ग्रेड वेतन रू0 8700/- से रू0 39,100 देय तिथि से स्वीकृत कर दिया गया। साथ ही साथ सिंचाई विभाग में कार्यरत समान कर्मचारियों को समान मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.01.2014 के परिप्रेक्ष्य में शासन ने अपने आदेश दिनांकित 30.01.2015 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.01.2014 के समादर में ग्रेड वेतन रू0 7600/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य कर दिया गया ।

(7) यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि प्रार्थी भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांकित 28.01.2014 का लाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। तद्नुसार याची दिनांक 18.05.2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- का लाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। याची दिनांक 18.05.2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- का लाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

3- श्री सुमन्त कुमार, अधिशासी अभियन्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 04.09.2018 के संबंध में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-2952 ईए/112ईए/18, दिनांक 04.08.2021 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी।

4- श्री सुमन्त कुमार, अधिशासी अभियन्ता के उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 04.09.2018, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त निम्नवत् स्थिति पायी गयी-

(1) शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू की गयी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के पूर्व राज्य में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के लिये समयमान वेतनमान की निम्नवत् व्यवस्थायें लागू रही हैं :-

(क) ऐसे पद जिनके वेतनमानों का अधिकतम रू0 3500 (पुनरीक्षित वेतनमानों में रू0 10500 तक जिसे पुनः संशोधित कर रू0 13500 से कम किया गया) था, उनके लिये अन्य के साथ 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर दो पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किये जाने का प्रावधान किया गया था।

(ख) ऐसे पद जिनमें प्रवेश रू0 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000-13500) या इससे उच्च वेतनमान में होता है, उनमें से कतिपय विशिष्ट संवर्ग यथा-पी0सी0एस0, पी0एम0एस0, न्यायिक एवं अभियन्त्रण संवर्ग के पदों को छोड़कर अन्य के लिये वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 27 जुलाई, 1992 द्वारा 08 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर रू0 3000-4500 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 10000-15200) का वैयक्तिक वेतनमान, रू0 3000-4500 के पदों के 20 प्रतिशत पदों पर 14 वर्ष की सेवा पर रू0 3700-5000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 12000-16500) का वैयक्तिक वेतनमान, रू0 3000-4500 के पद धारकों को दिये जाने एवं रू0 3000-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4500 एवं रू0 3700-5000 के पदों के 15 प्रतिशत पदों पर रू0 4500-5700 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 14300-18300) का वैयक्तिक वेतनमान तीसरे लाभ के रूप में ऐसे पद धारकों को दिये जाने का प्रावधान किया गया था, जो रू0 3700-5000 का पद धारित करते हों तथा इनकी संख्या रू0 3700-5000 के पदों की संख्या तक सीमित रहेगी। इस प्रकार उपर्युक्त व्यवस्था में निर्धारित समयावधि पर 03 उच्च चिन्हित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान था।

(ग) अभियन्त्रण विभागों के अभियन्त्रण संवर्ग के पदों के लिये वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 02 जनवरी, 1990 द्वारा 05 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर सहायक अभियन्ता के पद धारकों को प्रथम लाभ के रूप में रू0 3000-4500 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 10000-15200) का वैयक्तिक वेतनमान, 18 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर सहायक अभियन्ता के पद धारकों को द्वितीय लाभ के रूप में रू0 3700-5000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 12000-16500) का वैयक्तिक वेतनमान तथा ऐसे सहायक अभियन्ता जो अधिशासी अभियन्ता पद पर पदोन्नत हो गये उन्हें 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर द्वितीय लाभ के रूप में रू0 3700-5000 का वैयक्तिक वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त के अतिरिक्त तीसरे लाभ के रूप में 14 वर्ष की सेवा पर रू0 4500-5700 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 14300-18300) का सेलेक्शन ग्रेड अधिशासी अभियन्ता एवं इससे ऊपर के कुल पदों की संख्या के 15 प्रतिशत परन्तु संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता पदों की सीमा तक देय था। इस प्रकार अभियन्त्रण संवर्ग के लिये उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था में निर्धारित समयावधि पर पदोन्नतीय पद के वेतनमान के स्थान पर 03 उच्च चिन्हित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान था। इसी प्रकार की व्यवस्था पी0सी0एस0 एवं पी0एम0एस0 संवर्ग आदि के लिये भी की गयी थी।

(घ) श्री सुमन्त कुमार, अधिशासी अभियन्ता को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 7600/- का जो लाभ दिया गया है वह उप बिन्दु-ग में प्राविधानित उच्च चिन्हित वेतनमान दिये जाने से संबंधित नहीं है, अपितु दिनांक 01.12.2008 से लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ है जिसमें किसी भी श्रेणी के कर्मी को प्रथम, द्वितीय व तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में क्रमशः उच्च वेतनमान देय होता है। चूंकि द्वितीय ए0सी0पी0 देय होने की तिथि को श्री सुमन्त कुमार ग्रेड पे रू0 6600/- में कार्यरत है इसलिए उन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 7600/- दिया जाना नियमानुकूल है।

याची को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का जो लाभ अनुमन्य किया गया है, वह ए0सी0पी0 का लाभ है जिसमें वेतनमान का अगला वेतनमान ही देय होता है। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर-1(3) में भी स्पष्ट व्यवस्था है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन से अगले ग्रेड वेतन के रूप में कुल 03 वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा।

(2) उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग के अभियन्त्रण संवर्ग में सहायक अभियन्ता के पद से आगे पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों के ढांचें में रू0 3000-4500/रू0 10000-15200, रू0 3700-5000/रू0 12000-16500, रू0 5100-6150/ रू0 16400-20000 एवं 5900-6700/रू0 18400- 22400 के पद हैं। जबकि दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रही समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 3000-4500/रू0 10000-15200, रू0 3700-5000/रू0 12000-16500, रू0 4500-5700/रू0 14300- 18300 के चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान ही देय होते हैं, जबकि अभियन्त्रण संवर्ग के पदों की श्रृंखला में रू0 3700-5000 के वेतनमान से ऊपर रू0 5100-6150 के वेतनमान का पद उपलब्ध था, जिससे स्पष्ट है कि अभियन्त्रण संवर्ग में समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पदोन्नति के पद का वेतनमान देय नहीं था,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपितु चिन्हित वेतनमान ही देय थे। यदि अभियन्त्रण संवर्ग में पदोन्नतीय पद का वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया जाता तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था में रू0 4500-5700/रू0 14300-18300 का वेतनमान स्वीकृत होने की स्थिति न बनती, अपितु पदोन्नति की श्रृंखला में उपलब्ध अगला वेतनमान रू0 5100-6150/रू0 16400-20000 देय बनता।

(3) शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर-2(4), जिसे अवक्रमित किया जा चुका है एवं उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773 /दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-3 (6) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुमन्य हो चुके प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित हो जायेगें अर्थात् उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन यथावत् बना रहेगा।

(4) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-3 (6) की व्यवस्था ऐसे मामलों के लिये प्रभावी है जहां समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रोन्नतीय पद का वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है और प्रोन्नतीय पद का वेतनमान उच्चीकृत किया गया है। अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपरोक्तानुसार उल्लिखित विवरण के अनुसार निर्धारित सेवा अवधि पर रू0 3700-5000/ रू0 12000-16500 का चिन्हित वेतनमान वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किया गया था। यह वेतनमान पदोन्नति के पद का वेतनमान होने के आधार पर देय नहीं था, अतः अधीक्षण अभियन्ता के पद का ग्रेड वेतन रू0 8700 के स्तर पर उच्चीकृत किये जाने के बावजूद सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को स्वीकृत हुए वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000/रू0 12000-16500/समकक्ष ग्रेड वेतन रू0 7600 का प्रकरण उपर्युक्त व्यवस्था से आच्छादित नहीं होता है। इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने के आधार पर रू0 3700-5000/रू0 12000-16500/समकक्ष ग्रेड वेतन रू0 7600 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर चुके सहायक/अधिशासी अभियन्ता को ग्रेड वेतन रू0 8700 की देयता नहीं बनती है।

(5) वेतनमान रू0 2200-4000/रू0 8000-13500 या इससे उच्च वेतनमान में सेवा में प्रवेश करने वाले कार्मिक, जिसमें अभियन्त्रण सेवा के सहायक/अधिशासी अभियन्ता पद धारक भी सम्मिलित हैं, उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-3 (6) की व्यवस्था से आच्छादित नहीं है और उक्त कार्मिक शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 जिसे अवक्रमित किया जा चुका है, के प्रस्तर-2 (4) की व्यवस्था से भी आच्छादित नहीं थे।

(6) सिंचाई विभाग की रिट याचिका सं0-1440(एसबी)/2013 बीरेन्द्र कुमार मौर्या बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2014 एवं संशोधित आदेश दिनांक 06.02.2014 के विरूद्ध योजित की गयी विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-31063 /2014 (सी0सी0 नं0-17292/2014) उ0प्र0 सरकार एवं अन्य बनाम बीरेन्द्र कुमार मौर्या में श्री अशोक कनौजिया से सम्बन्धित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश दिनांक 14.07.2014 से हटकर निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:-

"Delay condoned.

We are not inclined to entertain this special leave petition, inasmuch as against the very same judgment at the instance of the petitioner against another person we declined to entertain the special leave petition in SLP(C) No. 15453/2014. The instant special leave petition is dismissed.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Mr. P.P. Rao, learned senior counsel appearing for the petitioner contended that there are about 500 others who also state their claim based on the above judgment of the High Court. It is also the submission of the learned senior counsel that the stand of the petitioner is not being considered by the High Court in other pending matters.

"We only make it clear that the dismissal of this special leave petition shall not stand in the way of the petitioner raising all or any other contentions available to it in law in the pending proceedings."

(7) इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-18/2015/वे0आ0-2-256 /दस-62 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए अधीक्षण अभियन्ता पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने के आधार पर वैयक्तिक वेतनमान के रूप में ग्रेड वेतन रू0 7600 प्राप्त कर रहे सहायक/अधिशासी अभियन्ताओं को ग्रेड वेतन रू0 8700/- की देयता नहीं बनने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

5- उपरोक्तानुसार वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/ 2008, दिनांक 05.11.2014 सपठित शासनादेश संख्या-18/2015/वे0आ0-2-256 /दस-62 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10.04.2015 में वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत श्री सुमन्त कुमार, अधिशासी अभियन्ता, जिन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अंतर्गत 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 7600/- का लाभ अनुमन्य कराया गया है, को अधीक्षण अभियन्ता के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने के आधार पर दिनांक 18.05.2011 से उच्चीकृत वेतन बैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड पे रू0 8700/- की देयता नहीं बनती है।

अतः निर्देश याचिका संख्या-2403/2018 सुमन्त कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 22.03.2021 के अनुक्रम में याची श्री सुमन्त कुमार, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) का प्रत्यावेदन दिनांक 04.09.2018 को उपरोक्त मंतव्य के साथ एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- स्टाफ आफिसर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित अधिकारी द्वारा स्टाफ आफिसर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in